

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दु. सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 अगस्त 2005—श्रावण 13, शक 1927

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-2/खाद्य/2003/29.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 सहपठित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के आदेश क्रमांक जी.एस.आर. 104 (ई) दिनांक 15 फरवरी, 2002, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) जी.एस.आर. 316 (ई) दिनांक 20 जून, 1972 तथा उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग) एस. ओ. क्रमांक 681 (ई), दिनांक 30 नवम्बर, 1974 तथा एस.ओ. क्रमांक 682 (ई), दिनांक 30 नवम्बर, 1974 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से एतद्वारा, छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु (मूल्य प्रदर्शन तथा मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1977 को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से विखंडित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 4-2/खाद्य/2003/29.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अगस्त, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th August 2005

NOTIFICATION

No. F 4-2/food/2003/29.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with the order of the Government of India the Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), No. GSR 104 (E), dated 15 Feb. 2002, the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), GSR 316 (E) dated 20th June, 1972 the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) S.O. No. 681 (E) dated 30th November, 1974 and S. O. No. 682 (E) dated 30th November, 1974, the State Government with prior consent of the Central Government hereby rescind the Chhattisgarh Essential Commodities (Exhibition of Prices and Price Control) Order, 1977 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Joint Secretary.